

२७/०७/२१

वकील अपीलान्ट उप०। वकील अपीलान्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि अपीलान्ट प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट उक्त पत्रावली को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। पत्रावली को आज ही पेशी पर ली जाकर जरिए नोट प्रेस अपील मय स्थगन प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाने का आदेश प्रदान करावे

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। न्यायहित में उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अपील को नोट प्रेस खारिज किया जाता है। वकील अपीलान्ट के हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये गये। अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर पत्रावली जरिये नोट प्रेस खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली